

मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी-6/नि./ई-प्लेटफार्म/स्टार एग्री/563/1224 भोपाल, दिनांक 13/05/2021

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख,
Star Agribazaar Technology Limited
प्लॉट नंबर जेड-15, शीला आर्केड,
एमंपी नगर जोन-1, भोपाल।

विषय:- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अधीन ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:- Star Agribazaar Technology Limited का आवेदन दिनांक 29.10.2018 एवं वांछित जानकारी दिनांक 25.03.2021 एवं 12.04.2021।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-45-16-चौदह-3 दिनांक 6 जनवरी 2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2018 के तहत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) के साथ पठित धारा 32-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, उक्त मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति) नियम, 2016 लागू किया गया है।

उक्त नियम की कंडिका क्रमांक 2(झ) में उल्लेख अनुसार "इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म" (ई-प्लेटफार्म) से अभिप्रेत है, कोई निगमित सत्ता, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित मण्डी कृत्यकारी के रूप में वाद चला सके और उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सके और जो ई-नीलामी (ई-आक्षण) सहित ई-व्यापार (ई-ट्रेडिंग) करने में प्रवृत्त है और जो अधिसूचित कृषि उत्पादों के मूल्य का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 37 के उपबंधों के अनुसार मण्डी कृत्यकारियों के लिए अपनी सहयोगी सेवाएं जैसे परखना, भण्डारण और लॉजिस्टिक्स, डेटा केन्द्र सेवा (डेटा सेण्टर सर्विस), सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि उपलब्ध करा रही है।

1/ Star Agribazaar Technology Limited के द्वारा सन्दर्भित आवेदन में ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति लिये जाने हेतु नियम-2016 के नियम (3) के अधीन इंडसइंड बैंक की बैंक गारंटी क्रमांक बीजी नं OGT0018210053014 रूपये 25 लाख की प्रस्तुत की गई है जिसकी अवसान तिथि 18.03.2022 तक है।

2/ संबंधित आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज निर्धारित फीस एवं निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति उपरांत नियम, 2016 की शर्त क्रमांक 5 के तहत राज्य में प्रांगण में परिचालन करने हेतु इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म (ई-प्लेटफार्म) अनुज्ञाप्ति नियम 2016 में विहित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है।

3/ अनुज्ञप्तिधारी को, नियम 2016 के प्रावधानों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें प्रमुख है –

- (i) आवेदक, पिछले तीन वर्ष से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का कमांक 1) या किसी अन्य विद्यमान प्रवर्तित विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कंपनी होगा और अन्य बातों के साथ-साथ राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज मण्डी समिति/सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई में, अधिसूचित कृषि उपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी सेवा कारोबार में हो और केवल इसी सेवा से उसका कुल टर्नओवर ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान कम से कम दो करोड़ का हो, (आवेदन के साथ पिछले निकटतम दो वर्षों के अंकेक्षित तुलन पत्र (Audited Balance Sheet)) तथा लाभ और हानि के लेखा की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) आवेदक को अधिसूचित कृषि उपज के लिए ई-नीलाम प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसने ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कम से कम 1000 ई-नीलामियां कुल (नीलामी) जिसमें मूल्य की ऐसी सभी ई-नीलामी से रूपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मूल्य की पूर्ण की होना चाहिए (आवेदन के साथ सम्बद्ध दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जाएगी)
- (iii) अनुज्ञप्तिधारी को ई-नीलामी के लिये अपनी स्वयं की अधोसंरचना राज्य में, प्रांगण में स्थापित करनी होगी और ऑनलाइन व्यापार तथा सहायक सेवाएं जैसे परखने की किया, भण्डारण और परिवहन आदि उपलब्ध कराने हेतु जन शक्ति तैनात करनी होगी। मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारी को, जिला कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किराए पर, समुचित कार्यालय जगह उपलब्ध कराएगी। वास्तविक उपयोग के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी समिति को विद्युत प्रभार संदर्भ किए जाएंगे। अनुज्ञप्तिधारी, हार्डवेयर, फर्नीचर, फिक्सचर, उपस्कर, जनशक्ति आदि की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iv) इन नियमों के अंतर्गत ऑनलाईन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, केवल ई-प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार करने का हकदार होगा और इसका ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। आगे यह कि केवल सफलता से व्यापार पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् उत्पादों की भौतिक अदायगी और समस्त फीस/देनदारी/व्ययों आदि के साथ ही विकेता आदि को राशि के भुगतान के पश्चात्, ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य ऑनलाईन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसके द्वारा राज्य में, प्रांगण में, ई-प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से क्य की गई उत्पादों के लिये वाणिज्यिक संव्यवहार में भाग लेने का पात्र होगा।

- (v) अनुज्ञप्तिधारी, विकेता को परखने की प्रक्रिया सेवा और या, ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी केता को भण्डारण तथा लॉजिस्टिक सेवा उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए प्रभारित किए जाने वाले प्रभारों की अग्रिम में ही (जैसे-ई-नीलामी प्रारंभ होने के पूर्व) लिये जाने वाले सेवा प्रभारों की, अनुज्ञप्तिधारी एवं विकेता/केता के बीच सहमति होगी

(ई-निलामी शुरू होने के पूर्व) और ई-नीलामी पोर्टल पर, साथ ही साथ विक्रय करार (अनुबंध पत्रक) जो कि विक्रेता/केता और अनुज्ञप्तिधारी के बीच हुआ है, प्रदर्शित होगा। उक्त सेवा प्रभार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, विक्रेता/केता से संबंधित सेवाएं (परखने की प्रक्रिया और या भण्डारण तथा लॉजिस्टिक आदि) ई-प्लेटफार्म पर स्थल व्यापार के लिये उपलब्ध कराने प्राप्त किया जाएगा।

(vi) अनुज्ञप्तिधारी, अधिसूचित कृषि उत्पादों की खरीद पर अधिनियम, उपविधियों के उपबंधों और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार समस्त प्रगुणित/सम्यक् मण्डी फीस और अन्य उपकर, उगाही व्यय का भुगतान संबंधित मण्डी समिति को करना सुनिश्चित करेगा और इसके लिये एकमात्र जवाबदेह होगा।

(vii) ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी (**Star Agribazaar Technology Limited**) भोपाल के साथ प्रबंध संचालक द्वारा एक सेवा स्तरीय अनुबंध, नियम 6 के अधीन अधिसूचित मण्डियों के लिये ई-प्लेटफार्म तथा अन्य सेवायें उपलब्ध कराने के निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए किया जायेगा। जो ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा। अतः 07 दिवस की अवधि में अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही सम्पन्न करें।

संलग्न :—अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र प्रारूप—ग—एक


(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0 प्र0 राज्य कृषि विषयन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि :-

- (1) संयुक्त/उप संचालक, मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) अंतर्गत **Star Agribazaar Technology Limited** को ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।
- (2) सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला..... मो प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति) नियम, 2016 (यथा संशोधित) अंतर्गत **Star Agribazaar Technology Limited** को ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञाप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।
- (3) चीफ प्रोग्रामर, मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

Pr

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मो प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Pr
Const. (e-signature)
AH-I

Landed
01/06/2021.

प्रारूप—ग—एक
(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिये अनुज्ञाप्ति

ई-प्लेटफार्म अनु. क.०।..... दिनांक 13/05/2021

ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति एतदद्वारा श्री/मेसर्स **Star Agribazaar Technology Limited** (नाम) पता – प्लॉट नंबर जेड-15, शीला आर्केड, एमपी नगर जोन-1, भोपाल, दूरभाष नंबर- 0755-4055271 को फीस रूपये 5000/- के भुगतान पर, जो इसके पश्चात् अनुज्ञाप्तिधारी कहा गया है, प्रदेश में परिचालन करने के लिए 31 मार्च 2022 (वर्ष) तक वैध, “मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) तथा “मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञाप्ति) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर की जाती है, अर्थात् :–

- (1) अनुज्ञाप्तिधारी को उक्त अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा आबद्ध रहना होगा।
- (2) यह अनुज्ञाप्ति अहस्तान्तरणीय है।
- (3) यह अनुज्ञाप्ति उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निलंबित या रद्द की जा सकेगी।
- (4) इस अनुज्ञाप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण की दशा में यह प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित की जाएगी।
- (5) अनुज्ञाप्तिधारी प्रदेश में प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किये अनुसार अंकित किये गए किसी भी प्रांगण में ई-प्लेटफार्म के रूप में व्यवसाय करेगा।
- (6) अनुज्ञाप्तिधारी, नियम-5 में विस्तरित समस्त शर्तों ओर निर्वधनों का पालन सुनिश्चित करेगा और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों का कठोरता से पालन करेगा।
- (7) अनुज्ञाप्तिधारी घोषित कृषि उत्पादों के विपणन के संबंध में विवाद में, अपने विवाद, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, (क्रमांक 24 सन् 1973) तथा तदाधीन निर्मित नियमों और उपविधियों में दिए गए तरीके से संदर्भ में उल्लेख करेगा।

स्थान: भोपाल

दिनांक:

अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण :

अनुज्ञाप्ति की दिनांक:

नवीनीकरण की कालावधि:

१८/८
प्रबंध संचालक

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
या उसके प्राधिकारी/अधिकारी
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)